

आदेश

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री शंकर सुन्डी, पिता - स्व० तुराम सुन्डी निवासी ग्राम - नरसन्डा, थाना - मुफसिल, जिला - प०सिंहभूम चाईबासा ने मौजा - नरसन्डा, थाना संख्या 649 के अन्दर खाता संख्या 162, प्लॉट संख्या 4371, रकवा - 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता श्री पोंडे राम बोबोंगा, पिता - श्री संग्राम बोबोंगा, ग्राम - गितिलपी, थाना - मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादाजी के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 105, दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री पोंडे राम बोबोंगा, पिता - श्री संग्राम बोबोंगा, ग्राम - गितिलपी, थाना - मुफसिल के पास 1,30,500.00/- (एक लाख तीस हजार पांच सौ) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक शंकर सुन्डी, पिता - स्व० तुराम सुन्डी, निवासी ग्राम - नरसन्डा, थाना - मुफसिल, जिला - प०सिंहभूम चाईबासा ने क्रेता श्री पोंडे राम बोबोंगा, पिता - श्री संग्राम बोबोंगा, ग्राम - गितिलपी, थाना - मुफसिल के पास जमीन को 1,30,500.00/- (एक लाख तीस हजार पांच सौ) रुपये में मौजा-नरसन्डा, थाना न० - 649, खाता नं० - 162, प्लॉट नं० - 4371, रकवा-0.07½ एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।